विविध **बैंक प्रकरण संख्या 64/2020(GCMS : 2020/00155) भारतीय स्टेट बैंक जरिये परमजीत कटारिया प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (राजस्थान) बनाम 1. मैसर्स नरूला पनीर हाउस – प्रो. श्री दीपक नरूला (मृतक) पुत्र श्री यशपाल नरूला 2. श्रीमती नीलम नरूला (माता), 3. श्रीमती डोली नरूला (पत्नी) 4. श्री कबीर नरूला (पुत्र) 5. काव्य नरूला (पुत्री), दुकान नं. 17, 18, 19 सी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 152 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.04.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थी मैसर्स न**रूला पनीर हाउस – प्रो. श्री दीपक नरूला (मृतक) पुत्र श्री यशपाल नरूला, श्रीमती नीलम नरूला (माता), श्रीमती डोली नरूला (पत्नी), श्री कबीर नरूला (पुत्र) एवं काव्य नरूला (पुत्री)** द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी मैसर्स नरूला पनीर हाउस–प्रो. दीपक नरूला (मृतक) द्वारा बंधक रखा गया स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया दृष्टि बंधक की गई है का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब इस प्रकरण में अप्रार्थीगण का खाता बंद हो गया है इसलिए अब प्रार्थी बैंक अप्रार्थीगण ऋणियों के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं अर्थात नाट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 18.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी भारतीय स्टेट

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बैंक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स न**रूला पनीर हाउस – प्रो. श्री दीपक नरूला (मृतक) पुत्र श्री यशपाल नरूला, श्रीमती नीलम नरूला (माता), श्रीमती डोली नरूला (पत्नी), श्री कबीर नरूला (पुत्र) एवं काव्य नरूला (पुत्री)** के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स नरूला पनीर हाउस–प्रो. दीपक नरूला (मृतक) द्वारा बंधक रखा गया स्टॉक सहित बैंक ऋण (वर्तमान व भविष्य) द्वारा बनाई गई सम्पूर्ण वर्तमान और सभी संपतिया दृष्टि बंधक की गई है, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट (नॉटप्रैस) भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर भी अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 18.08.2020 को खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर